न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2024 / 21

दायरा तिथि : 11.01.2024

आदेश तिथि : 06-01-2026

प्रार्थी :–

जितेन्द्र पुत्र निहालचन्दजी जाति जैन
निवासी बिसलपुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. श्रीमति कमला पत्नि फौजमलजी जाति माली निवासी बिसलपुर
2. श्रीमति विमला पत्नि जवानमलजी जाति माली निवासी बिसलपुर
3. कमलादेवी पत्नि दयारामजी जाति जटीया निवासी बिसलपुर
4. भरतकुमार फुलवारिया पुत्र रमेशचन्द्र फुलवारिया जाति जटीया निवासी न्यू अंबिका नगर ईशनपुर अहमदाबाद
5. उमेशकुमार पुत्र शंकरलाल जाति लुहार निवासी बिसलपुर
6. मेथीबाई पत्नि शंकरलाल जाति लुहार निवासी बिसलपुर
7. प्रवीणकुमार पुत्र शंकरलाल जाति लुहार निवासी बिसलपुर
8. पुष्पा पुत्री शंकरलाल जाति लुहार निवासी बिसलपुर
9. बालुराम पुत्र शंकरलाल जाति लुहार निवासी बिसलपुर
10. महेन्द्रकुमार पुत्र इन्दाराम जाति लुहार निवासी बिसलपुर
11. कनियाबाई पत्नि इन्दाराम जाति लुहार पिवासी बिसलपुर
12. प्रकाशचन्द पुत्र इन्दाराम जाति लुहार निवासी बिसलपुर
13. भूरमल पुत्र इन्दाराम जाति लुहार निवासी बिसलपुर
14. भंवरलाल पुत्र इन्दाराम जाति लुहार निवासी बिसलपुर
15. युविका शेषमल मालवी पुत्री शेषमल मालवी जाति लुहार निवासी बिसलपुर
16. रिंकु शेषमल मालवी पुत्री शेषमल मालवी जाति लुहार निवासी बिसलपुर
17. स्नेहलता शेषमल मालवी पुत्री शेषमल मालवी जाति लुहार निवासी बिसलपुर
18. जयेश शेषमल मालवी पुत्र शेषमल मालवी जाति लुहार निवासी बिसलपुर
19. वगता पुत्र जोदीया जाति लुहार निवासी बिसलपुर
20. श्रुति अग्रवाल पुत्री आनंद अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी सुमेरपुर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक :

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि **ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का, बिसलपुर** तहसील बाली के खसरा नंबर 362 रकबा 1.32 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की निजी खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 359 रकबा 0.76 हैक्टर व खसरा नंबर 357 रकबा 0.76 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित अनुसार 30 फीट चौडा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार....02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2024/21

अनवान जितेन्द्र बनाम कमला वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध पक्ष अप्रार्थीगण को भी जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2024/993 दिनांक 16.7.2024 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.यह हैं कि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 362 रकबा 1.32 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि खातेदार जितेन्द्र पुत्र निहालचंद जाति जैन निवासी बिसलपुर के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी खातेदार की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं हैं।

2. यह हैं कि प्रार्थी खातेदार को प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 357 व 359 मेंसे नजदीकी रास्ता दिये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।

3. यह हैं कि ग्राम बिसलपुर में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं. सं0	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	357	0.76	बा.अ.	60X9 = 540 वर्गमीटर	श्रीमति कमला पत्नि फौजमल हिस्सा 1/2 श्रीमति विमला पत्नि जवानमल हिस्सा 1/2 जातिगण माली निवासी बिसलपुर
2	359	0.76	चा.सो.	136X9 = 1224 वर्गमीटर	श्रीमति कमला पत्नि फौजमल हिस्सा 1/2 श्रीमति विमला पत्नि जवानमल हिस्सा 1/2 जातिगण माली निवासी बिसलपुर

4. यह हैं कि भू0अ0 निरीक्षक, बिसलपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता दिये जाने वाली खसरो की डी.एल.सी.दर 1, 79, 658/–रूपये प्रति हैक्टर हैं।

5. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं हैं।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से वकील श्री अमृत परिहार ने वकालतनामा प्रस्तुत कर आपत्ति की कि प्रार्थी ने मात्र अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 357 व 359 मेंसे ही रास्ता चाहा है, तथा उसी अनुरूप तहसीलदारजी ने भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की खातेदारी से रास्ता प्रस्तावित किया है, जबकि पडौस में खसरा नंबर 361, 360 व 356 भी है, अतः इन पडौसी खसरो एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मेंसे आधा–आधा रास्ता दिया जाता है, तो अप्रार्थीगण को भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा एवं प्रार्थी को भी आवागमन की सुविधा मिल जायेगी। जिससे उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् न्यायालय आदेश दिनांक 19.2.2025 से खसरा नंबर 360 व 361 के खातेदारान् को प्रकरण बतौर अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के पक्षकार बनाया जाकर उनकी तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 04 राजस्थान प्रान्त से बाहर गुजरात राज्य में अहमदाबाद का निवासी होने से जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से तलब किया गया। जिनका ऑन लाईन तामीली स्टेट्स निकाले जाने पर अप्रार्थी संख्या–04 को अहमदाबाद के पते पर भिजवाया लिफाफा डिलीवर्ड होना

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार........03

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2024/21

अनवान जितेन्द्र बनाम कमला वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पाया गया, इसके बावजुद अप्रार्थी संख्या–04 आदिनांक तक वकालत/असालतन अनुपस्थित रहा है, जिससे इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये जाते है। इसके साथ ही अप्रार्थी संख्या–03 को जारी नोटिस लेने से इन्कार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ, जो प्रोपर तामली की श्रेणी में आता है। ताा साथ ही अप्रार्थी संख्या–03 की और से श्री जितेश भंडारी अधिवक्ता द्वारा अण्डरटेकिंग लेते हुये न्यायालय में उपस्थिति भी दी गई। जिससे प्रकरण में पुनः बहस सुनी गई। बहस के दौरान् ज्ञात हुआ कि खसरा नंबर 356 भी पडौसी खसरा है, तथा आधा–आधा रास्ता दिये जाने पर खसरा नंबर 360 व 361 के साथ खसरा नंबर 356 भी प्रळाावित होता है, परन्तु आदेशिका दिनांक 19.2.2025 में सहवन से खसरा नंबर 356 के खातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं न ही इनकी तलबी की गई। जबकि विधिक प्रावधानो के अनुसार बिना हितबद्ध पक्षकारो नोटिस दिये कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। जिससे वकुलाय की बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् न्यायालय आदेशिका दिनांक 15.7.2025 से खसरा नंबर 356 के खातेदारान् को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये तथा प्रार्थना पत्र शीर्षक पर बतौर अप्रार्थी संख्या 05 से 20 अंकन करते हुये इन अप्रार्थीगण को प्रासेस सर्विस से नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण इन्दाराम के वारशान एवं शंकरलाल के मात्र एक वारिश प्रवीणकुमार को ही प्रोसेस सर्विस के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुये शेष अप्रार्थीगण के नोटिस मकान तालाबंद की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने से वकील प्रार्थी के अनुरोध पर न्यायालय आदेशिका दिनांक 16.12.2025 से अप्रार्थीगण संख्या 05 से 20 समस्त के नोटिस अखबार में छाया के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 05 से 20 बावजुद नोटिस अखबार में छाया के वकालतन/ असालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 05 से 20 के विरूद्व भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये जाते है।

अप्रार्थी संख्या 05 से 20 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही होने तथा अप्रार्थी संख्या 04 के विरूद्व भी एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने एवं प्रकरण में तहसीलदार, बाली की तथ्यात्मक रिपोर्ट पुर्व में प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी श्री विक्रमसिंह सोलंकी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार व अप्रार्थी संख्या–03 के अधिवक्ता श्री जितेश भंडारी की बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने आधा रास्ता उनकी खातेदारी भूमि से आधा रास्ता खसरा नंबर 360, 361 356 से दिये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नही बताई। परन्तु अपनी खातेदारी मेंसे 10 फीट से ज्यादा चौडा रास्ता नहीं दिये जाने की दलील दी। प्रार्थी अधिवक्ता ने रास्ते की चौडाई न्यायालय पर छोडते हुये दलील दी कि प्रार्थी को मात्र आवागमन के लिये रास्ता चाहिये। अप्रार्थी संख्या–03 के अधिवक्ता द्वारा भी प्रार्थी को रास्ता दिये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई। जिससे तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट में वर्णित ट्रैक से प्राथी की खातेदार भूमि बिसलपुर के खसरा नंबर 362 की भूमि तक पहुॅच के लिये खसरा नंबर 359, 357 मेंसे 10–10 फुट चौडाई में एवं खसरा नंबर 360, 361 व 356 मेंसे भी 10–10 फीट चौडाई का रास्ता कुल 196 मीटर लम्बा नया मार्गा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 12.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकः प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 362 रकबा 1.32 हैक्टर किस्म बारानी अववल की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.......04

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2024/21

अनवान जितेन्द्र बनाम कमला वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 359, 357, 360, 361, 356 मेंसे 10–10 फीट चौडाई में रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि जमा की सुनिश्चिता करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल वर्गमीटर में	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 179658/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
359	0.76	136X 3.04=413.44	17.96	7425.38X2= 14851	श्रीमति कमला पत्नि फौजमल हिस्सा 1/2 श्रीमति विमला पत्नि जवानमल हिस्सा 1/2 जातिगण माली निवासी बिसलपुर
357	0.76	60x 3.04=182.4	17.96	3276X2=6552	श्रीमति कमला पत्नि फौजमल हिस्सा 1/2 श्रीमति विमला पत्नि जवानमल हिस्सा 1/2 जातिगण माली निवासी बिसलपुर
360	1.13	54 x3.04=164.16	17.96	2948.316X2= 5897	भरतकुमार फुलवारिया पुत्र रमेशचन्द्र फुलवारिया जाति जटिया नि. अहमदाबाद
361	0.66	79 x3.04=240.16	17.96	4313.27X2=8627	कमलादेवी पत्नि दयाराम जाति जटिया सा.देह खातेदार
356	0.91	66 x3.04=200.64	17.96	3603.49X2=7207	उमेश कुमार पुत्र शंकरलाल वगैरा जमाबंदी में दर्ज अनुसार खातेदार

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 43134/– (अक्षरे तयासलीस हजार एक सौ चौतीस रूपये मात्र) रूप्रये रिकार्ड में दर्ज खातेदारान् को बतौर प्रतिकर राशि अदा की जावेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

पेज लगातार........05

Scanned with OKEN Scanner

नकल नक्शा किश्तवार
ग्राम - बिसलपुर
तह - बाली
जिला - पाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

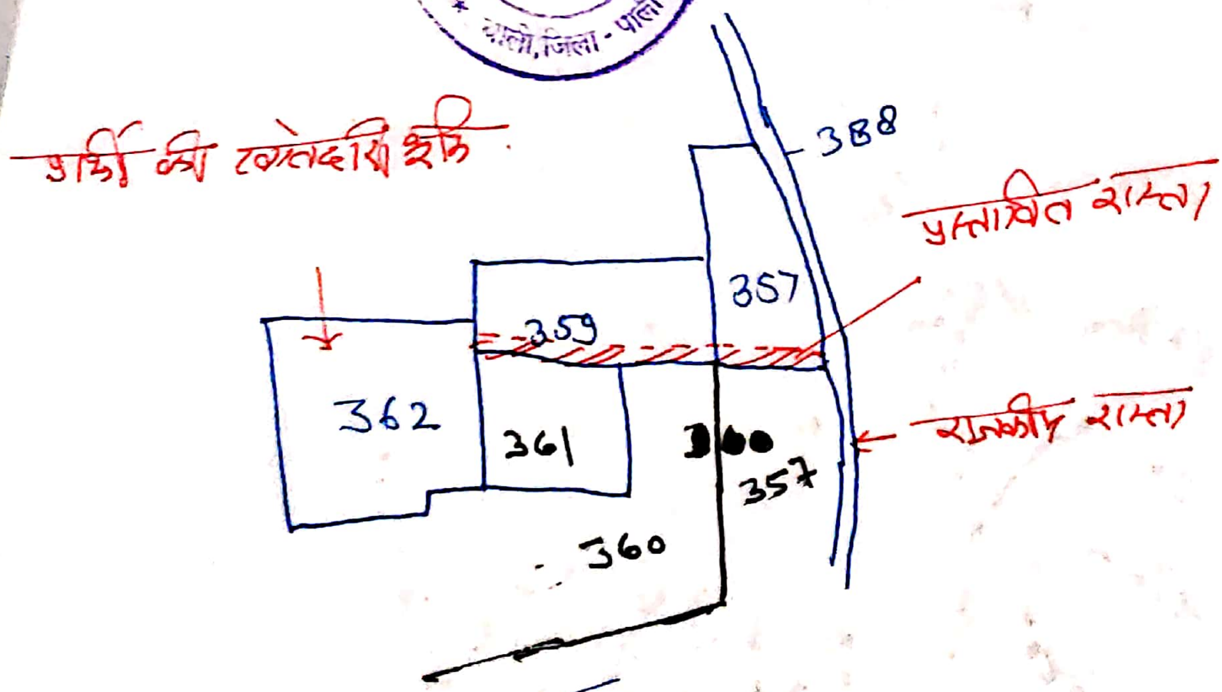

तहसीलदार,बाली,

Bisalpur

//05//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS NO 2024/21

अनवान जितेन्द्र बनाम कमला वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला पाली (राज.)

(नितेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक : 13-01-26

क्रमांक / कोर्ट / 2026/108-112

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार,बाली तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, बिसलपुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक जितेन्द्र पुत्र निहालचन्दजी जाति जैन निवासी बिसलपुंर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner